



Neutral Citation No. - 2026:AHC:13213

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या - 524 सन् 2026

महिपाल सिंह

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: इरफान अहमद मलिक

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता

: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री इरफान अहमद मलिक और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार को सुना।
2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार ने अदालत में बयान दिया है कि उनके पास निर्देश हैं और वे मामले पर बहस करने में सक्षम हैं और वे कोई शपथपत्र दाखिल नहीं करना चाहते हैं। याचिका का निर्णय अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए। पक्षकारों की सहमति से, रिट याचिका पर नए सिरे से विचार किया जा रहा है।
3. याचिकाकर्ता का कहना है कि वे 30.11.2023 को निरीक्षक पद से सेवानिवृत्त हुए थे, लेकिन दिनांक 27.01.2025 के आक्षेपित आदेश के अनुसार, सेवानिवृत्ति के बाद उनका अंतिम वेतन 64,100 रुपये से घटाकर 60,400 रुपये कर दिया गया है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है क्योंकि याचिकाकर्ता को इसकी सूचना नहीं दी गई थी और यह धोखाधड़ी, छिपाव या गलत बयानी का मामला नहीं है।
4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता का कहना है कि आक्षेपित आदेश से यह स्पष्ट नहीं होता कि याचिकाकर्ता को इसकी सूचना दी गई थी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. मैंने बार में दिए गए सभी निवेदनों को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।

6. तथ्य विवादित नहीं हैं। यह विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता 30.11.2023 को निरीक्षक पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, हालांकि, अभिलेखों में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चले कि याचिकाकर्ता को नोटिस दिया गया था और यह आक्षेपित आदेश से स्पष्ट नहीं है। यह छिपाने, धोखाधड़ी या गलत बयानी का मामला नहीं है।

7. तदनुसार, रिट याचिका का **निस्तारण** निम्नलिखित शर्तों पर किया जा रहा है:

(क) मेरठ जिला, मेरठ के एसएसपी द्वारा दिनांक 27.01.2025 को पारित आदेश रद्द किया जाता है; (ख) याचिकाकर्ता को **20.02.2026** तक कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा; (ग) याचिकाकर्ता 15 दिनों के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद दो महीने की अवधि के भीतर आदेश पारित किए जाएंगे।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

20 जनवरी, 2026

राजेश

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।